आदेश पत्रावली पेश हुई। मिसल भाग पत्रावली/आदेश प्रार्थना पत्र O-1R-10 CPC दिनांक 17-5-18 को पेश हुआ।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद,

न्याय आपके द्वार अभियान - 2018

9.5.18 पत्रावली कैम्प कोर्ट लिडाना में पेश हुई।
वकील वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लिडाना के हाल खातानम्बर 4799, 4800, 505, 506, 563, 564, 4287 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की शामिल खातेदारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है अतः आराजी मुताबिक का विधिवत विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें व अन्यत्र बेचान हस्तान्तरण नहीं करे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3,4 व [illegible] के वारिसान द्वारा वादग्रस्त आराजी में से [illegible] हिस्सा [illegible] विक्रय पत्र बेचान कर दिया है उक्त क्रेता ने आदेश O-1 R-10 CPC पेश कर पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया है। क्रेता ने [illegible] Reg विक्रयपत्र [illegible] के वारिसान का हिस्सा क्रय किया

न्यायालय श्रीमान

४

है। प्रकरण में वे हितबद्ध पक्षकार होने के प्र.पत्र स्वीकार किया जाता है। केला निनामा को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाता है।

केला द्वारा वाद का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि इन्हें वादग्रस्त आराजी के विभाजन पर कोई ऐतराज नहीं है।। ~~शेष प्रति~~

वादी द्वारा भी प्रकरण में मुख्य अनुतोष वादग्रस्त आराजी के विभाजन का चाहा है। चूंकि के विभाजन से पक्षकारों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा शेष प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति दौराने विभाजन प्रस्ताव पेश कर सकते है।

अतः ग्राम तिलहरी के हाल खसरा नम्बर 4799(0.11), 4800(0.10), 505(0.11) 506 (0.06), 563(0.08), 564(0.08), 4287(0.05) की आराजी पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार/नायब तहसीलदार उक्त आराजी पर वादी, प्रतिवादी 1, 2, 5, 6 व केला निनामा पत्नी प्रभु केसा के मध्य विधिवत उपस्थिति में भूमि की किस्म, मूल्य, लगान व मार्ग का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें। पक्षकार स्वयं [illegible] करें। इस आदेश की ~~पक्षकार~~ सूचनार्थ [illegible] जाती है।। पत्रावली वास्ते उपस्थिति विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.7.18 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी